Question No. *6

INDEX OF INFORMATION

Sr. No.	Subject	Page No.
1	Reply of question No. *6 in English	1-2
2	Note for the pad in English	3-4
3	Reply of question No. *6 in Hindi	5-6
4	Note for the pad in Hindi	7-8

NOTE FOR PAD

1. A consumer may request the Nigam to test the meter if he doubts its accuracy, by applying to the licensee along with requisite testing fee.
2. The Nigam shall check the meter at site by putting a check meter in series or otherwise.
3. In case of consumer is not satisfied with site checking of meter, he may request the Nigam to test the meter in the M&T lab.
4. For testing of the meter in the lab, the Nigam shall give advance notice to the consumer intimating the date, time and place of testing so that the consumer or his authorized representative may be present at the time of testing of his meter.
5. The consumer or his authorized representative present during testing will sign the test report as a token of witness. In case the consumer or his authorized representative is not present, the licensee's representative and the testing laboratory official shall sign on the test report.

   Provided further that if on testing, the meter is found to be defective due to technical reasons attributable to the Nigam including voltage fluctuation, transients, the licensee shall refund the testing fee to the consumer by adjustment in the subsequent bill.
6. The licensee shall have the right to test any meter and related equipment if there is a reasonable doubt about accuracy of the meter. The consumer shall provide the necessary assistance in conduct of the test. The Nigam may check the meter at site by installing a check meter in series or otherwise. If required, the Nigam may temporarily replace the meter and take it away for testing in the lab.
7. As per instructions of the Nigam, the defective and burnt energy meters are also checked in M&T Labs before returning back to Nigam's store.
8. The Nigam shall dispatch the test report to the consumer, to be received under acknowledgement, within a week of the date of testing.
9. If a consumer disputes the result of testing, he may appeal to the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) which shall adjudicate upon the matter.

10. There are 10 Nos. Metering & Testing (M&T) Laboratories in the State situated at Dhulkote (Ambala), Yamuna Nagar, Kaithal, Karnal, Rohtak, Gurugram, Faridabad, Hisar, Sirsa & Charkhi Dadri for testing electrical meters. These labs have all required facilities for high quality testing of electrical meters.

11. That out of aforesaid 10 M&T Labs; 6 labs {Dhulkote (Ambala), Yamuna Nagar, Kaithal, Karnal, Rohtak & Gurugram} are duly accredited from National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), Govt. of India for ISO/IEC 17025:2017.

पैड के लिए नोट

1. यदि उपभोक्ता को मीटर की सटीकता पर संदेह है तो वह अपेक्षित जांच शुल्क के साथ लाइसेंसी को आवेदन करके निगम से मीटर की जांच करने का अनुरोध कर सकता है।
2. निगम साईट पर सीरिज में चेक मीटर लगाकर या अन्य प्रकार से मीटर की जांच करेगा।
3. यदि उपभोक्ता मीटर की साईट जांच से संतुष्ट नहीं हैए तो वह निगम को एम एंड टी लैब में मीटर की जांच करने का अनुरोध कर सकता है।
4. लैब में मीटर की जांच करने के लिएए निगम उपभोक्ता को जांच की तिथिए समय और स्थान की पूर्व सूचना देगा ताकि उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि अपने मीटर की जांच के समय उपस्थित रह सके।
5. जांच के दौरान उपस्थित उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि गवाह के रूप में जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा। यदि उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, तो लाइसेंसी का प्रतिनिधि और जांच प्रयोगशाला का अधिकारी जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा।

   बशर्ते कि जांच करने परए यदि मीटर अस्थाई, वोल्टेज उतार-चढ़ाव सहित निगम के जिम्मेदार तकनीकी कारणों से खराब पाया जाता है, तो लाइसेंसी बाद के बिल में समायोजन करके उपभोक्ता को जांच शुल्क वापस कर देगा।
6. लाइसेंसी को किसी भी मीटर और संबंधित उपकरण की जांच करने का अधिकार होगा यदि मीटर की सटीकता के बारे में उचित संदेह है। उपभोक्ता जांच करने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। निगम साईट पर सीरिज में चेक मीटर लगाकर या अन्य प्रकार से मीटर की जांच कर सकता। यदि आवश्यक हो तो निगम अस्थायी रूप से मीटर बदल सकता है और इसे प्रयोगशाला में जांच के लिए ले जा सकता है।
7. निगम के निर्देशों के अनुसार, खराब और जले हुए बिजली मीटरों को निगम के स्टोर में वापस करने से पहले एम एंड टी लैब में भी जांचा जाता है।
8. निगम जांच की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर, पावती के तहत प्राप्त होने वाली जांच रिपोर्ट उपभोक्ता को भेज देगा।
9. यदि कोई उपभोक्ता जांच के परिणाम पर विवाद करता है, तो वह उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में अपील कर सकता है जो मामले पर फैसला करेगा।
10. बिजली मीटरों की जांच के लिए राज्य में धूलकोट (अंबाला), यमुनानगर, कैथल, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा और चरखी दादरी में **10** मीटरिंग एवं टेस्टिंग (एम एंड टी) प्रयोगशालाएं स्थित हैं। इन प्रयोगशालाओं में बिजली मीटरों की उच्च गुणवत्ता जांच के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हैं।

11. उपरोक्त 10 एम एंड टी प्रयोगशालाओं में से, 6 प्रयोगशालाएँ (धूलकोट (अंबाला), यमुना नगर, कैथल, करनाल, रोहतक और गुरुग्राम) आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के लिए नेशनल टेस्टिंग एण्ड कैलीबरेशन लेबोरेटरी मान्यता बोर्ड (एनएबीएल) भारत सरकार से विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हैं।